पत्र संख्या-बी-4-नजारत-टेलीफोन // तरंग योजना-सिम // 2889 / 1516039 // वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0 प्र0,
(नजारत अनुभाग)
लखनऊ:दिनांक:: 23 सितम्बर,2015

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

---

तंरग योजना के संचालन हेतु पूर्व मे निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1101 दिनांक 23-01-14 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आदेश में प्रीपेड सिमों का आवंटन अधिकारियों के नाम से किया गया था जिसके अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को विभाग में अपनी सेवाकाल तक निश्चित तंरग नम्बर रखने का प्रावधान था। अधिकारियों के सेवानिवृत / दिवंगत एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित हुये वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को अपना सिम एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित करना पड़ता था।

उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुये अधिकारियो को नाम से आवंटित विभागीय प्रीपेड सी0यू0जी0 सिमों को तात्कालिक प्रभाव से अधिकारियों के पदनाम से आवंटित किया जाता है और सभी कार्यालयो के आहरण वितरण अधिकारी को इस योजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अधिकारियों के स्थानान्तरण होने की दशा में सम्बन्धित कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी को अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी अपना सी0यू0जी0 प्रीपेड सिम कार्यालय में वापस जमा करे और सिम जमा करने के पश्चात ही सम्बन्धित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र / अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए और स्थानान्तरित अधिकारी के स्थान पर अन्य अधिकारी, जो उस पद का कार्यभार ग्रहण करे, उसे उस पद से कार्यमुक्त हुए अधिकारी का सिम आंवटित कर दिया जाये। केवल दिवंगत / सेवानिवृत अधिकारी / प्रतियोगिता परीक्षा के चयनित अधिकारी जो वाणिज्य कर विभाग को छोड़कर चले गये हो या विभागीय पदावनति के कार्यवाही के कारण राजपत्रित अधिकारी की पदावनति अराजपत्रित पद पर हो गई हो तो ऐसे दिवंगत अधिकारियों / सेवानिवृत अधिकारियों / विभाग को छोड़कर चले गये अधिकारियों एवं पदावनत अधिकारियों के आवंटित सिम प्राप्त कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी अपने पास सुरक्षित रखेगे ताकि उनके पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सिम उपलब्ध कराया जा सके और यदि कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को पूर्व से सिम आवंटित हो तो उस दशा में प्रीपेड सिम अपने पास सुरक्षित रखें ताकि उस पद पर ऐसे अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने पर जिसके पास सिम आवंटित नहीं है तो उक्त पद का सिम उस अधिकारी को प्राप्त करा दिया जाए।

कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी का स्थानान्तरण होने की दशा में कार्यमुक्त होने वाले आहरण वितरण अधिकारी अपना चार्ज कार्यभार ग्रहण करने वाले आहरण वितरण अधिकारी को देते समय सुरक्षित रखें गये सिमों को,अपना सिम एवं पदो के सापेक्ष आवंटित सिमों की हस्ताक्षरित सूची भी प्राप्त करायेगें। सभी आहरण वितरण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में जो अधिकारी उनके कार्यालय में कार्यरत है उनके विवरण निम्न प्रारुप में एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित करें तथा ऐसे कार्यालय व पद की सूची भी मुख्यालय प्रेषित करें जिनको अभी तक सिम आवंटित नहीं हुये है ताकि मुख्यालय से अतिरिक्त सिमों के खरीदने की गणना की जा सकें। उपरोक्त प्रेषित सूचनाओं को excel sheet में E-mail ID **tarang2014scheme@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करे। उपर्युक्त किये गये संशोधन के अतिरिक्त तंरग योजना के संचालन हेतु कार्यालय आदेश 1101 दिनांक 23-01-14 में पूर्व में दिये गये निर्देश प्रभावी रहेगे।

**प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं का फार्मेट**

| S.NO | OFFICE NAME | DESIGNATION | MOBILE NO. | OFFICER'S NAME | REMARK | EMP-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

ऐसे कार्यालय एवं पद जिस पर सिम आवंटित नही हुआ है अर्थात सिम आवंटित करने के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसे पदनाम के सामने REMARK में Vaccant दर्शाया जायें।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि एडीशनल कमिश्नर के पद से सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण में प्रोन्नत होने पर अधिकारी द्वारा सी0 यू0 जी0 सिम कार्यालय में जमा नहीं किया जा रहा है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अधिकारियों के सिम भी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायें।

( रण विजय यादव )
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1-रजिस्टार वाणिज्य कर अधिकारण लखनऊ इस निर्देश के साथ कि सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा प्रयोग किये जा रहे तंरग योजना के सिम तत्काल उनसे प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

( रण विजय यादव )
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।